

# बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू—अर्जन शाखा) अधिकारी

संख्या डी० एल० ४० नालन्दा पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-वस्ती, परगना-बिहार, थाना नं०-220 थाना-बाड़, जिला-नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हरनौत रेलवे स्टेशन से कल्याणिंगहा पथ उन्नयन निर्माण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-वस्ती, थाना नं०-220 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 1.055 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०-57, 58, 59, 61, 71, 72, 74, 75, 76, 125, 126 एवं 127 सभी अंश।

जिसकी चौहड़ी निम्न प्रकार है :-

उत्तरः— खेसरा सं० ५७, ५८, ५९ एवं ६१ सभी अंश।

**पूरब** :— खेसरा सं 61, 71, 74, 75, 126 एवं 127 सभी अंश।

**दक्षिण** :— खेसरा सं० 55 एवं 126 सभी अंश।

**पश्चिम** :— खेसरा सं० 55, 72, 76, 125 एवं 126 सभी अंश तथा खेसरा सं० 73 पूर्ण।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,  
नालन्दा

अपर समाहता,  
नालन्दा

## सरकार के सब सचिव

ज्ञापांक १७५ / राष्ट्र डी० एल०ए०— नालन्दा, दिनांक १७-०१-१३।

**प्रतिलिपि** :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

**2. प्रतिलिपि :-** उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मानव सम्बन्धीय संशोधन विभाग